B.Ed - 1st year

Gender School & Society

Women Movement

*** आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा -**

भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर ~~आसीन~~ आसीन हुई हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनु॰14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करना, (अनु 15), अवसर की समानता (अनु॰ 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु॰ 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाये जाने की अनुमति प्रदान करता है। स्त्रियों की स्थिति में उत्थान करने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी मानकर निम्न सुझाव प्रदान किये गये।

* स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम आयोग विश्वविद्यालय आयोग (1948) ने स्त्री शिक्षा हेतु अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, बालिकाओं हेतु उपयोगी पाठ्यक्रम तथा

Scanned with CamScanner

B.Ed → 1st Year

BCC 6

शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था करना।

* माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने स्त्री शिक्षा के लिए गृहविज्ञान को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना, शिल्पकला तथा गृह-उद्योगों की स्थापना, सहशिक्षा का सुझाव प्रस्तुत किया।
* द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में स्त्री शिक्षा के प्रसार और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की गई।
* दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958) ने स्त्री शिक्षा हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किया गया -
* स्त्री शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या मान कर इसका उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार को स्वयं कुछ समय तक उठाना चाहिए।
* स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के विषमता को समाप्त कर, स्त्री शिक्षा को पुरुष शिक्षा के समान महत्व प्रदान करना चाहिए।
* स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु अलग प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्' तथा राज्य स्तर पर 'प्रांतीय महिला शिक्षा परिषद्' का गठन किया जाना चाहिए, जो स्त्री शिक्षा हेतु उत्तरदायी हो।
* केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में महिला शिक्षा हेतु अतिरिक्त धनराशी की व्यवस्था कि जाय।
* केन्द्रीय सरकार स्त्री शिक्षा के सम्बंध में

Scanned with CamScanner

B.Ed - 1st Year

BCC 6

unit - 5

(3)

वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत में भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार - प्रसार पर व्यापक ध्यान दिया गया।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में सर्वाधिक प्रमुखता प्राथमिक शिक्षा को दी गई। बालिकाओं तथा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु विशेष बल दिया गया। 1971 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या जहाँ 280 लाख थी वहीं 1981 ई० तक इसकी संख्या बढ़कर 400 लाख हो गई।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि लैंगिकता के आधार पर शिक्षा में कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु निम्न कदम उठाये गये।

* जिन जिलों में स्त्री साक्षरता दर कम थे वहाँ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

* बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90% अनुदान प्रदान किया गया।

* केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में 30% छात्राओं के लिए आरक्षण दिया गया तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई।

* महिलाओं हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की गयी।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र

Scanned with CamScanner

B.Ed - 1st Year

Gender School & Society

Women Movement

(4)

* 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं हेतु अल्पकालिन शिक्षा की व्यवस्था।
* बालिकाओं हेतु पृथक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा महाविद्यालयों की स्थापना।
* बालिकाओं हेतु विशेष छात्रवृतियों की व्यवस्था। अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था।
* बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था।
* 1968 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी, जिसमे स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा उन्नती पर विशेष बल दिया गया।
* 1970 मे राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया।
* स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्माण।
* केन्द्रीय सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु पर्याप्त धनराशी की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्य करने हेतु शिक्षिकाओं को प्रोत्साहन, भत्ता तथा सुविधाये प्रदान करना।
* (1969-74) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में महिलाओं ग्रामिण क्षेत्र मे कार्य कर स्त्री शिक्षिकाओ को विशेष भत्ता, सुविधा तथा आवास प्रदान किये गये। जिससे 1971 मे छात्राओं की संख्या 1961 के संख्या की दुगुनी हो गई। 1975 के वर्ष को यूनेस्को ने महिला वर्ष

वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत में भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार - प्रसार पर व्यापक ध्यान दिया गया।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में सर्वाधिक प्रमुखता प्राथमिक शिक्षा को दी गई। बालिकाओं तथा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु विशेष बल दिया गया। 1971 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या जहाँ 280 लाख थी वहीं 1981 ई० तक इनकी संख्या बढ़कर 400 लाख हो गई।
* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि लैंगिकता के आधार पर शिक्षा में कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु निम्न कदम उठाये गये।
* जिन जिलों में स्त्री साक्षरता दर कम है वहाँ विशेष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
* बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90% अनुदान प्रदान किया गया।
* केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में 30% छात्राओं के लिए आरक्षण दिया गया तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई।
* महिलाओं हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की गयी।
* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र

Scanned with CamScanner

खोलने में सहायता प्रदान कि।

* 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम का आरम्भ किया गया।
* 1992-97 के आठवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं हेतु छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि कि गई।

हालांकि भारत में महिला साक्षरता दर में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। 1997 के नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार केरल तथा मिजोरम राज्य ने ही सार्वभौमिक साक्षरता दर को प्राप्त किया है। वर्ष 2000 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 70 लाख 42 हजार बच्चों को सेवा प्रदान किया जा रहा है जिसमें लगभग 12 लाख बालिकाओं के लिए है। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामलों में लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तथापि ग्रामीण भारत में यह संख्या अपर्याप्त है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त स्कूली सुविधायें, महिला शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम में लिंग, महिला चरित्रों का असहाय और कमजोर दर्शाया जाना है।